3121

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No:- FFE-B(2)-2/2021 **Dated Shimla-171002, the** 01-03-2021

Order

Sub:- **Diversion of 0.2484 hectare of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road from village Bassi to 5th I.R.Battalian Mahila (Kms. 0/00 to 1/005), within the jurisdiction of Bilaspur Forest Division, Distt. Bilaspur, H.P. (Online No. FP/HP/Road/13854/2015)**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8B/HP/06/80/2018/FC/1937 दिनांक 04/12/2019 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **0.2484** है0 वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करतें है:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. प्रयोक्ता ऐजेंसी से प्राप्त धनराशी से वन विभाग द्वारा 250 वृक्षों का रोपण किया जाएगा एवम् उसके 7–10 वर्षो तक रख–रखाव किया जाएगा।
3. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847 of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.
4. एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों /स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जाएगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जाएगी।
8. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में स्ट्रिप Plantation की जाएगी।
9. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गए उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा ।
10. प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्षों का कटान/पातन नहीं किया जाएगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillar लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर आगे तथा back bearing भी अंकित किया जाएगा।

Contd./2

S/PCA
APCCF (FCA)
PCCF(HoFF)
2/3/21

आवती सं 3959
दिनांक 04/03/21

12 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

13 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागु होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

14 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। राज्य सरकार वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

Endst. No **FFE-B-F(2)-2/2021** Dated, Shimla-171001 the, 01-03-2021

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Bilaspur, Distt., Bilaspur, Himachal Pradesh.
6. DFO Bilaspur Forest Division, Distt., Bilaspur H.P.
7. The Ex-Engineer HPPWD Bilaspur , Distt. Bilaspur HP
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 1-3-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

3561//

[redacted]माचल प्रदेश सरकार
वन विभाग
***

No.- FFE-B-F(2)-2/2021 Dated: Shimla-171 002, the 4 March, 2021

ORDER

Subject:- Diversion of 2.61 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Shilla Tarashi to Dachhani Road (Kms 0/0 to 5/636), within the jurisdiction of Kullu Forest Division, District Kullu, Himachal Pradesh. (online No. FP/HP/Road/20489/2016).

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्याः 8बी/एच.पी./06/39/2018/एफ.सी./2950 दिनांक 18.03.2020 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 2.61 है0 वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं:–

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**

   (क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 5.50 है0 गैरवनीय/पतित वन भूमि खसरा संख्या Survey No. 52H/4/ NW (UPF Baragarh III), Patlikuhal Range, Village Tarashi पर क्षतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल कृषि से बचें।
4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 218 trees and 151 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
5. एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

S/FCA

APCCF(FCA) 8/3

PCCF(HOFF) 6/3/21

6. प्रयोक्ता अभिकरण आई.आर.सी. मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
7. सरंक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
8. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847 of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.
9. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
10. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
11. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
13. संबधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
14. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
15. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
16. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
17. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
18. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय के

दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

19. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

आदेशानुसार,

(आर.डी. धीमान)
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

Endst. No FFE-B-F(2)-2/2021 Dated: Shimla-171 002 the, 4 March, 2021

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests & CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ, Talland, Shimla-1 for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Kullu, District Kullu, Himachal Pradesh.
6. Divisional Forest Officer, Kullu Forest Division, District Kullu, H.P.
7. The Executive Engineer, HPPWD, Kullu, District Kullu, H.P.
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 4-3-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh
Phone No. 0177-2621874

❖❖❖❖❖

2974

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No:- FFE-B(2)-2/2021 Dated Shimla-171002, the 26 -02-2021

Order

Sub:- **Diversion of 1.659 hectare of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road from Thana Kasog to Trimali Dayar road (Kms. 0/00 to 15/200) of Nahan Forest Division, Distt. Sirmour, Himachal Pradesh (online no. FP/HP/Road/9738/2015)**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्र्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8B/HPB/06/85/2016/930 दिनांक 13/08/2020 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **1.659** है0, वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करतें है:–

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपुरक वनीकरणः**

क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 3.32 है0 RF Gumati Sambhalwa C-2 पर क्षतिपूरक वनी करण किया जाएगा। जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल प्लांटेशन से बचें।

ख) राज्य शासन द्वारा CA क्षेत्र के सही खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी ।

ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4. **दण्डात्मक प्रतिपूरक वनीकरणः**

क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 8.295 है0 RF Gumati Sambhalwa C-2 पर दण्डात्मक प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल प्लांटेशन से बचें।

ख) राज्य शासन द्वारा PCA क्षेत्र के सही खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी क्योंकि वर्तमान में खसरा संख्या के स्थान पर टोपीशीट संख्या अंकित की गई है।

ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त PCA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

5 प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं काटे जायेगें।

6 राज्य वन विभाग सी.ए. एवं पी.सी.ए. हेतु संशोधित स्कीम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को प्रषित करेगें।

7 एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

8 सरंक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगें।

Contd./2

पावती सं 3910
दिनांक 02/03/21

SIFCA

APCCF (FCA)
1/3

9 This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847, of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.

10 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानो के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

11 केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

12 वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

13 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

14 संबधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

15 परियोजना कार्य के निष्पादन हेतू निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

16 इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो कम हो, लक्षित किया जाएगा।

17 वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

18 केन्द्र सरकार की पूर्व अनूमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतू प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हंस्तातरित नहीं की जायेगी।

19 प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों इस प्रकार से मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रुप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधें लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

20 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागु होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

21 इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या तो 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाई होगी।

22 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

Contd./2

Endst. No **FFE-B-F(2)-2/2021** Dated, Shimla-171001 the, 26 **-02-2021**

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Sirmour, Distt., Sirmour, Himachal Pradesh.
6. DFO Nahan Forest Division, Distt., Sirmour H.P.
7. The Ex-Engineer HPPWD Nahan, Distt. Sirmour HP
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 26-2-2021

Joint Secretary (Forests) to the

Government of Himachal Pradesh.

2108

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग
***

No.- FFE-B-F(2)-2/2021 Dated: Shimla-171 002, the 6 March, 2021

ORDER

Subject:- Diversion of 2.2516 ha (instead of 2.4914 ha) of forest land by surrendering of 0.7376 ha (instead of 0.6093 ha) and taking 0.4978 (instead of 0.3695 ha) additional land for the construction of Rajpur Small Hydro Electric Power Project (9.9 MW) in favour of M/s Rajpur Hydro Power Pvt. Ltd., within the jurisdiction of Rampur Forest Division, District Shimla, Himachal Pradesh.

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्याः 9–एच.पी.बी. / 452 / 2010–सी.एच.ए. / 1775 दिनांक 07.11.2019 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 2.2516 ha (instead of 2.4914 ha) of forest land by surrendering of 0.7376 ha (instead of 0.6093 ha) and taking 0.4978 (instead of 0.3695 ha) additional वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं:–

1. वन भूमि की विधिक स्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार UF Badhal 6a में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 5.00 है0 वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
3. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847 of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.
4. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढौतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों / स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

8. निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहां–जहां संभव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में उपयुक्त प्रजाति के पौधों का plantation किया जायेगा।

9. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

10. Felling of trees on the forest land being diverted shall be reduced to the bare minimum and not more than 42 trees (In the approval accorded vide letter dated 03.10.2011 for area 2.4914 ha felling permission was given for 35 trees/saplings out of which 12 trees are in the area surrendered 0.7376 and 19 are in new area 0.4978) shall be felled under strict supervision of the State Forest Department.

11. The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, if required, as per the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986.

12. The User Agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down.

13. The dumping area for muck disposal shall be stabilized and reclaimed by planting suitable species by the user agency at the cost of project under the supervision of State Forest Department . Retaining walls and terracing shall be carried out to hold the dumping material in place. Stabilization and reclamation of such dumping sites shall be completed before handing over the same to the State Forest Department in a time bound manner as per plan.

14. State Forest department shall ensure that the user agency shall comply the provisions of the all Rules, Regulations and Guidelines issued for laying transmission line in forest areas the time being in force, as applicable to the project.

15. The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, using four feet high RCC pillars, each pillar inscribed with serial number, DGPS coordinates forward and backward bearings and distance from pillar to pillar etc.

16. The User Agency and the State Forest Department shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the Project.

17. The User Agency shall submit the annual self compliance report on the conditions stipulated in the approval to the State Forest Department and the concerned Regional Office of MoEF, Govt. of India.

18. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।

19. Lease Deed shall be executed by the User Agency with the Collector-cum-Deputy Commissioner, Shimla, Himachal Pradesh.

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

आदेशानुसार,

(आर.डी. धीमान)
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला—2

Endst. No FFE-B-F(2)-2/2021 Dated: Shimla-171 002 the, 6, March, 2021

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests & CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ, Talland, Shimla-1 for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Shimla, District Shimla, Himachal Pradesh.
6. Divisional Forest Officer, Rampur Forest Division, District Shimla, H.P.
7. M/s Rajpur Hydro Power Pvt. Ltd.
8. Guard File.

डायरी सं. 5115
दिनांक 12/03/21

(Sat Pal Dhiman) 6-3-2021
Joint Secretary (Forests) to the Government of Himachal Pradesh
Phone No. 0177-2621874

❖❖❖❖❖

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग
***

No.- FFE-B-F(2)-2/2021 Dated: Shimla-171 002, the 4, March, 2021

ORDER

Subject:- Diversion of 0.792 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Manal to Korga road (Kms 0/0 to 10/500), within the jurisdiction of Renukaji Forest Division, District Sirmaur, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/ Road/ 21866/2016).

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्याः 8बी/एच.पी./06/13/2018/एफ.सी./1101, दिनांक 20.08.2020 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 0.792 है0 वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं:–

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**
   (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 792 पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा। जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल प्लांटेशन से बचें।
   (ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
4. **दण्डात्मक प्रतिपूरक वनीकरणः**
   (क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 2.4 है0 D-214 Kofota range, Tehsil Kamrau, Renukaji Forest Divison पर दण्डात्मक प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल कृषि से बचें।
   (ख) राज्य शासन द्वारा PCA क्षेत्र के सही खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी क्योंकि वर्तमान में खसरा संख्या के स्थान पर टोपोशीट संख्या अंकित की गयी है।

(ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त PCA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

5. प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्षों का कटान/पातन नहीं किया जाएगा।
6. एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
7. सरंक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
8. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847 of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.
9. पर्यावरण (सरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
10. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
11. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
13. संबधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
14. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
15. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
16. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
17. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से वन

विभाग की देख–रेख में ही पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

18. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

19. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42 / 2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

20. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

आदेशानुसार,

(आर.डी. धीमान)
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

Endst. No FFE-B-F(2)-2/2021 Dated: Shimla-171 002 the, 04 March, 2021
Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests & CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ, Talland, Shimla-1 for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Sirmaur, District Sirmaur, Himachal Pradesh.
6. Divisional Forest Officer, Renukaji Forest Division, District Sirmaur, H.P.
7. The Executive Engineer, HPPWD, Renukaji, District Sirmaur, H.P.
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 4-3-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh
Phone No. 0177-2621874

❖❖❖❖❖

[redacted]

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग
***

No.- FFE-B-F(2)-2/2021 Dated: Shimla-171 002, the 4, March, 2021

ORDER

Subject:- Diversion of 8.0793 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Dhadu Nala to Telar (Kms 0/0 to 10/455), within the jurisdiction of Chopal Forest Division, District Shimla, H.P. (online No. FP/HP/Road/24775/2017).

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्याः 8बी/एच.पी./06/84/2018/एफ.सी./2952 दिनांक 18.03.2020 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 8.0793 है0 वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं:–

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**
   (क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 16.50 है0 गैरवनीय/पतित वन भूमि खसरा संख्या UPF Ramdara पर क्षतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल कृषि से बचें।
4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 145 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
5. Nodal Officer-cum-APCCF (FCA) O/o Pr.CCF (HoFF), H.P. vide his letter No. Ft.48-3539/2017(FCA). dated 18th May, 2020has informed that the stipulation imposed at Sr. No. 5 in MoEF, GoI letter No. 8बी/एच.पी./06/84/2018/एफ.सी./2952, dated 18.03.2020 has been complied with and informed the Government to issue final order.

6. एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
7. प्रयोक्ता अभिकरण आई.आर.सी. मानदंड़ों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
8. सरंक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
9. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847 of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.
10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
11. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
12. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
14. संबधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
15. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
16. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
17. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
18. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

19. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
20. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

आदेशानुसार,

(आर.डी. धीमान)
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

Endst. No FFE-B-F(2)-2/2021 Dated: Shimla-171 002 the, 4 March, 2021

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests & CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ, Talland, Shimla-1 for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Shimla, District Shimla, Himachal Pradesh.
6. Divisional Forest Officer, Chopal Forest Division, District Shimla, H.P.
7. The Executive Engineer, HPPWD, Chopal, District Shimla, H.P.
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 4-3-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh
Phone No. 0177-2621874

❖❖❖❖❖

3014

हिमाच[redacted]रकार
वन विभाग

File No:- FFE-B-F(2)-2/2021 **Dated Shimla-171002, the** 4 **-03-2021**

<u>Order</u>

Sub:- **Diversion of 1.57 ha of forest land in favour of Agriculture Produce Market Committee Shimla and Kinnaur for construction of Market Yard at Tharmati, within the jurisdiction of Theog Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8B/HPB/09/08/2016/1944 दिनांक 04/12/2019 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **1.57** है0 वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करतें हैं :–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार U-368 rail में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 3. 14 हे0 वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
3. The Final order is being issued as per the directions/ orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071,121109,130847 of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N Godavarman Thirumulpad Vs. UoI & Ors.
4. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रसतावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/ स्टॉफ के लिये किसी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जाऐगा।
6. प्रयोक्ता अभिकारण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/ कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी।
8. निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में उपयुक्त प्रजाति के पौधो का Plantation किया जाऐगा।
9. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
10. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 97 से अधिक न हो।

S/FCA

APCCF(FCA) 8/3

PCCF(HoFF) 6/3/21

Contd./-2

11. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमाकंन करेगा जिन पर forward and back bearing भी अंकित किया जाएगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए सक्षम अधिकारी / प्राधिकारी से आवश्यक पर्यावरण मंजूरी, यदि लागू है तो, लेना आवश्यक होगा।
13. परियोजना अभिकरण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा फेंका जाएगा।
14. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
15. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।
16. A lease deed shall be executed by the User Agency with the Collector-cum-Deputy Commissioner Shimla.

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि० प्र० के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित किया जाएगा।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

Endst. No **FFE-B-F(2)-2/2021** Dated, Shimla-171001 the, 4 **-03-2021**
Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Shimla & Kinaaur, Distt., Shimla & Kinnaur, Himachal Pradesh.
6. DFO Theog Forest Division Theog, Distt., Shimla H.P.
7. Agriculture Produce Market Committee Shimla and Kinnaur.
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 4-3-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.